प्रस्ताव

3 विवाह का संवैधानिक अधिकार। विधायी संवैधानिक संशोधन।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश अटॉर्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया

इस विधेयक का टेक्स्ट पृष्ठ 75 और राज्य सचिव कीवेबसाइट *voterguide.sos.ca.gov* पर देखा जा सकता है।

- लिंग या जाति पर ध्यान दिए बिना, विवाह करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देने के लिए California के संविधान में संशोधन करता है।
- California के संविधान में से उस भाषा को हटाता है जिसमें यह कहा गया है कि विवाह केवल पुरुष और महिला के बीच होता है।

राज्य और स्थानीय सरकार पर पड़ने वाले शुद्ध राजकोषीय प्रभाव का विधायी विश्लेषक के अनुमान का सारांश:

- राज्य और स्थानीय सरकारों के लिए राजस्व या लागतों में कोई परिवर्तन नहीं।

ACA 5 (प्रस्ताव 3) पर विधानमंडल द्वारा डाले गए अंतिम मतदान
(अध्याय 125, 2023 के विधान)

सीनेट:	हाँ 31	नहीं 0
विधानसभा:	हाँ 67	नहीं 0

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

परिप्रेक्ष्य

संघीय न्यायालयों ने कहा है कि समलैंगिक जोड़े विवाह कर सकते हैं, लेकिन California के संविधान की पुरानी भाषा अभी भी कहती है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही हो सकता है।

प्रस्ताव

प्रस्ताव 3 संविधान को अपडेट करता है ताकि संघीय न्यायालयों ने जो कहा है उससे मेल खा सके कि कौन विवाह कर सकता है।

राजकोषीय प्रभाव

प्रस्ताव 3 यह नहीं बदलेगा कि California में किसे विवाह करने की अनुमति है। इसका अर्थ यह है कि राज्य और स्थानीय सरकारों के राजस्व या लागतों में कोई बदलाव नहीं होगा।

मुख्य रूप से इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए गठित समितियों की सूची के लिए *sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/measure-contributions/2024-ballot-measure-contribution-totals* पर जाएँ।

समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं तक पहुंचने के लिए *fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html* पर जाएँ।

प्रस्ताव 3 के पूर्ण टेक्स्ट के लिए, पृष्ठ 75 देखें।